

क्रमांक / वि.सं. / 2013 / 311

दिनांक 9-07-23

अधिसूचना


आदेशानुसार सामुदायिक भवन एवं पंडित शम्भूनाथ शुक्ल सभागार का किराया दिनांक 13.6.2013 की गठित समिति के अनुमोदित निर्णय अनुसार निर्धारण किया जाता है।

1. पंडित शम्भूनाथ शुक्ल सभागार का किराया प्रतिदिन रुपये 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) निर्धारित किया जाता है, जिसमें माइक एवं डी.जी. सेट को पृथक रखा जायेगा।
2. सामुदायिक भवन का किराया विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वयं के परिवार यथा माता-पिता, पुत्र-पुत्रियों एवं पोते-पोतियों के धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु रुपये 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) निर्धारित किया जाता है।
3. इसी अनुक्रम में बाहरी व्यक्तियों के उपयोग हेतु सामुदायिक भवन का किराया रुपये 12000/- (बारह हजार रुपये मात्र) प्रतिदिन की दर से निर्धारित किया जाता है।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. वित्ताधिकारी अ.प्र.सिंह वि.वि. सीवा।
2. सहायक संचालक आवासीय निधि संपरीक्षा।
3. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।

4. सूचना कक्ष 0/C


कुलसचिव


कुलसचिव